

सहायक सहायक फतेवर (प्रशिक्षण) उपविभागाधीन शिकोहाबाद

घाट संख्या : 43/2014-15

स्थान

श्रीज-रूपपुर

हृदय जुगार

उपशिक्षक

घाट 143 उपशिक्षक शिकोहाबाद

निर्णय

आदेशक हृदय जुगार प्रवर्गण श्री राजवीर सिंह यादव एसीएसी कोलेज रूपपुर विभागीय जूनियर सहकारी शिकोहाबाद जिला शिकोहाबाद द्वारा प्रार्थना पर दिनांक 07-12-2013 प्रस्तुत कर कहा गया है कि आदेशक श्रीज रूपपुर स्थित भूमि छाता संख्या 58 के गाटा संख्या 203 रकबा 0-45] 60 लगान 182.45 रु सतना का संवर्गीय मुनिवर जातकार है। उक्त भूमि शीक के पर जाती पडी है तथा मातृ पातन, पातनी, युजक पातन आदि के प्रयोग में नही लयी जा रही है आदेशक द्वारा अंत में उक्त भूमि को कृषि से निन प्रयोजन में आने से नियम 135 के अर्थात उत्तर प्रदेश जमींदारी विनया एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अर्थात जावदी घोषित किये जाने का अनुरोप किया गया है। प्रार्थना पर ने उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सहकारीतदार शिकोहाबाद से जॉय आख्या भंगवी गई ।

सहकारीतदार शिकोहाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12/12/2014 प्रस्तुत कर कहा गया है कि आदेशक श्रीज रूपपुर स्थित गाटा संख्या 203 रकबा 0-45] 60 लगान 182.45 रु सतना के कुल भूमि के संवर्गीय मुनिवर जातकार है। उक्त भूमि मातृ पातनी युजक पातन मातृ पातन आदि के प्रयोग में नही लयी जा रही है। सहकारीतदार शिकोहाबाद द्वारा अंत में श्रीज रूपपुर में स्थित भूमि छाता संख्या 58 के गाटा संख्या 203 रकबा 0-45] 60 लगान 182.45 रु सतना के कृषि से निन प्रयोजन में आने से नियम 135 के अर्थात उत्तर प्रदेश जमींदारी विनया एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अर्थात लगान मुक्त कर आनादी घोषित किये जाने की संज्ञुति की गयी है।

आदेश

आदेशक सहकारीतदार जयवर्गण द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 12/12/2014 के आधार पर श्रीज रूपपुर सहकारी शिकोहाबाद जिला शिकोहाबाद स्थित भूमि छाता संख्या 58 के गाटा संख्या 203 रकबा 0-45] 60 लगान 182.45 सतना को उपशिक्षक जमींदारी विनया एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का धारा 143 के अर्थात कृषि कार्य से द्वात, लगान मुक्त कर अकृषित आदेश घोषित की जाती है। आदेश की प्रगाथिता प्रति सहकारीतदार/उपनियन्त्रक शिकोहाबाद को अनुपातनार्थ भेजी जाय। परवर्ती राद आदेशक कार्यवाही साधित, दफार की जाय।

दिनांक: 02.01.2015



(रवीन्द्र कुंभार) 02/01/15

सहायक फतेवर (प्रशिक्षण) उपविभागाधीन

शिकोहाबाद



NOTARIES N. Rojpi Notary U.P.

Secretary ACMT COLLEGE NH-2, Ropaspur, Shikohabad Distt.-Firozabad (U.P.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रोप्रेटो)/उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद

बाद संख्या रु2182013.14

बनाम

मौजा रूपसपुर

योगेश कुमार यादव

उ०प्र० सरनगर

घारा 143 उ०प्र० जमीन मु०अ०

निर्णय

आवेदक योगेश कुमार यादव पुत्र श्री राजवीर सिंह यादव ग्राम व पोस्ट जान्मूई तहसील जसराणा जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15/02/2013 प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदक मौजा रूपसपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 208 रकबा 0.729 है० के कान्तकार है। उक्त भूमि मतस्य पालन, बागवानी/एकुक्कट पालन आदि के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है आवेदक द्वारा अंत में मौजा रूपसपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 208 के रकबा 0.729 है० लगान 20.70रु० सलाना के कुल रकबा 0.729 है० भूमि को उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत लगान मुक्त कर आबादी घोषित किये जाने का अनुरोध किया है प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर तहसीलदार शिकोहाबाद से आख्या मंगायी गयी।

तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15/02/2013 प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदक मौजा रूपसपुर स्थित गाटा संख्या 208 रकबा 0.729 है० लगान 20.70रु० सलाना के कुल भूमि के सकमणीय भूमिधर कान्तकार है। आवेदक कुल भूमि अर्थात् 0.729 है० को आबादी घोषित कराना चाहता है उक्त भूमि कृषि बागवानी कुक्कट पालन मतस्य पालन आदि के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा अपनी आख्या में मौजा रूपसपुर में स्थित खाता संख्या 24 के गाटा संख्या 208 के रकबा 0.729 है० लगान 20.70रु० सलाना के कुल भाग अर्थात् रकबा 0.729 है० लगान 20.70रु० सलाना को उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि कार्य से इत्तर लगान मुक्ति अकृषित/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

आदेश

अतः तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 15/02/2013 के आधार पर मौजा रूपसपुर तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद स्थित खाता संख्या 24 के गाटा संख्या 208 रकबा 0.729 है० के कुल भाग अर्थात् 0.729 है० भूमि लगान 20.70रु० सलाना को उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कृषि कार्य से इत्तर लगान मुक्त कर अकृषित आबादी घोषित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार/उपनियन्त्रक जसराणा को अनुपालनार्थ भेजी जाय। पत्रावली बाद आवेदक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 02.01.2015



(रविन्द्र कुमार) 02/01/15

सहायक कलेक्टर (प्रोप्रेटो)/उपजिलाधिकारी

शिकोहाबाद

ACM COLLEGE
NH-2, Roopaspur, Shikohabad
Dist.-Firozabad (U.P.)

21/01/15
उपजिलाधिकारी